

प्रेस नोट थाना कैम्पियरगंज दिनांक 10-10-2020

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने व उच्चाधिकारी गण के दिशा निर्देश के अनुपालन में थाना स्थानीय के गठित टीम द्वारा आज दिनांक 10.10.2020 को समय 04.00 बजे सुबह कलान पुल के पास से शातिर चोर 1. सूरज उर्फ सिराज पुत्र हरिद्वार साहनी नि. जंगल बिहुली टोला भगवानपुर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद कारतूस 315 बोर व 2. अजय कुमार भारती पुत्र रामकेवल भारती नि. जंगल झझवा टोला शुकुलपुरवा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को दो अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण 1. सूरज उर्फ सिराज उपरोक्त व 2. अजय कुमार भारती उपरोक्त द्वारा पहले भी थाना पुरन्दरपुर महाराजगंज में चोरी के जुर्म में जेल जा चुके है।

नाम पता अभियुक्त गण

1. सूरज उर्फ सिराज पुत्र हरिद्वार साहनी निवासी जंगल बिहुली टोला भगवानपुर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
2. अजय कुमार भारती पुत्र रामकेवल भारती नि. जंगल झझवा टोला शुकुलपुरवा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

अभियोग जिसमे गिरफ्तारी हुई का विवरण

- मु0अ0स0 821/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त सूरज उर्फ सिराज उपरोक्त
मु0अ0स0 822/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त अजय कुमार भारती उपरोक्त

गिरफ्तारी दिनांक व स्थान का नाम

10.10.2020 समय 04.00 बजे दिन स्थान कलान पुल के पास बहद ग्राम मोदीगंज

आपराधिक इतिहास

1. मु.अ.सं.529/18 धारा 379 भादवि थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
2. मु.अ.सं. 251/19 धारा 379 थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज
3. मु.अ.सं. 821/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उनि. श्री शम्भूदयाल मिश्र थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
2. आरक्षी रियाज अंसारी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर